न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— .कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 57 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. .हिरसिह पुत्र भवरसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी कारिगरों की ढीमडी बगडी नगर तहसील सोजत जिला पाली		1. सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता प्रार्थी
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांक — 9/5/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम बगडी नगर चक प्रथम....तह0 सोजत जिला पाली राजस्थना वर्तमान खसरा नंबर 2503, 2504, 2507, 2508, 2511, 2512, 2513, 2514 कुल खसरा 08 कुल रकबा 4.8500 हैक्टर की आई हुई स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। विरासती नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों के द्वारा पेम ऑफ मिस्टैक से सद्भाविक भूल वश प्रार्थी हिरसिंह के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में हरीसिंह इद्राज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत होने से प्रार्थना पत्र में मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम बगडी नगर चक प्रथम....तह0 सोजत जिला पाली राजस्थना वर्तमान खसरा नंबर 2503, 2504, 2507, 2508, 2511, 2512, 2513, 2514 कुल खसरा 08 कुल रकबा 4.8500 हैक्टर कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हरिसिंह के स्थान पर हिरसिंह दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत जबाब पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्ये प्रार्थी स्वयं सिद्ध करना अंकित कर अन्य पैराज कानूनी होना अंकित किया है। तहसीलदार सोजत से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सोजत ने रिपोर्ट पेश कर वांछित ईश्तदुआ अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

बहस अधिवक्ता उभयपक्षीय सुनी गई। बहस के दोरान अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित होकर विरासती नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों के द्वारा पेम ऑफ मिस्टैक से सद्भाविक भूल वश प्रार्थी हिरसिंह के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में हरीसिंह इद्राज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाकर पुनः हिरसिंह इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अप्रार्थी ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्टानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सपुष्टि होती हे। लिहाजा वादस्थ भूमि में प्रार्थी का सही नाम हिरसिंह इन्द्राज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बगडी नगर चक प्रथम....तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खसरा नंबर 2503, 2504, 2507, 2508, 2511, 2512, 2513, 2514 कुल खसरा 08 कुल रकबा 4.8500 हैक्टर कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हरिसिंह के स्थान पर हिरसिंह पुत्र भंवरसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान्)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 09/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान्)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner